यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय, अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण (अल्मोड़ा)** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तरखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण (अल्मोड़ा)** के माह **04/2010 से 11/2016** तक के लेखा अभिलोखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री जतिन राणा, व. लेखापरीक्षक एवं श्री राकेश रंजन तथा श्री संजय कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक **03.12.2016 से 16.12.2016** तक श्री बी. डी. सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दिनेश कुमार, पर्यवेक्षक तथा श्री टी.एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.2010 से 18.09.2010 तक सम्पादित की गई थी, जिसमें वर्ष 2006-07 से 2009-10 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2010 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

जल ही जीवन का आधार है। जल का पेयजल की आवश्यकताओं के अतिरिक्त औद्योगिक एवं कृषि विकास सहित समग्र आर्थिक विकास के सन्दर्भ में सम्पूर्ण जैविक जगत के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व के क्षेत्रफल का 70 प्रतिशत भाग जल एवं उसमें से मात्र 3 प्रतिशत मीठा और शेष 67 प्रतिशत जल खारा है। औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास और जनसंख्या विस्फोट के कारण जल प्रदूषण एवं खपत की मात्रा बढ़ रही है। उत्तराखण्ड राज्य के 53483 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में अनुमानतः 663200 लाख किलोलीटर कुल वार्षिक जल प्राप्त होता है, जिसमें से मानव जनसंख्या, पशुओं. कृषि तथा उद्योग के लिए मात्र 31 प्रतिशत जल की आवश्यकता आंकी गयी है। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 84.79 लाख है, जिसमें 22.97 प्रतिशत जलसंख्या शहरी क्षेत्र तथा 77.03 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उत्तर भारत के बारहमासी जल श्रोतों के उद्गम स्थल के प्रभाव क्षेत्र एवं पर्यावरण के अनुरक्षण और प्रबन्धन का उत्तरदायित्व उत्तराखण्ड राज्य का है। यह जल प्रबन्धन एवं उपयोग में अत्यधिक दक्षता तथा जल संरक्षण के महत्व की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

2. **(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि ₹ लाख में)

क्रम संख्या	**विवरण**	**वित्तीय वर्ष**					
		2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**
1	प्रारंभिक अवशेष	344.720	103.488	390.291	434.058	424.907	249.848
2	वर्ष में कुल प्राप्तियां						
	केन्द्रांश	0.72	160.333	206.435	215.53	556.959	394.304
	राज्यांश	233.64	451.091	49.250	101.738	151.341	74.840
	अन्य श्रोतों से	300.00	-	-	-	100.00	-
3	कुल योग (1+2)	879.08	714.912	645.976	751.326	1232.843	718.992
4	वर्ष के दौरान कुल व्यय	775.592	324.621	211.918	326.419	982.995	855.133
5	अंतिम अवशेष (3-4)	103.488	390.291	434.058	424.907	249.848	136.141

नोटः- माह मार्च 2016 में केंन्द्राश के अन्तर्गत ठेकेदार के देयक व्यय में समायोजन किया आवंटन मई 2016 में हुआ इस कारण अवशेष धनराशि ऋणात्मक है।

भाग-तीन

विगत निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या
2010-11	N0-AIR/AB/ 26/2010-11	प्रस्तर-1 प्रस्तर-2 प्रस्तर-3	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

भाग-चार

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

खण्ड द्वारा प्रत्येक माह बनाए जा रहे मासिक प्रगति रिपोर्ट को बनाया जा रहा था।

खण्ड में समस्त अभिलेखों का रख-रखाव सही ढंग से किया गया था।

3.**विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः**

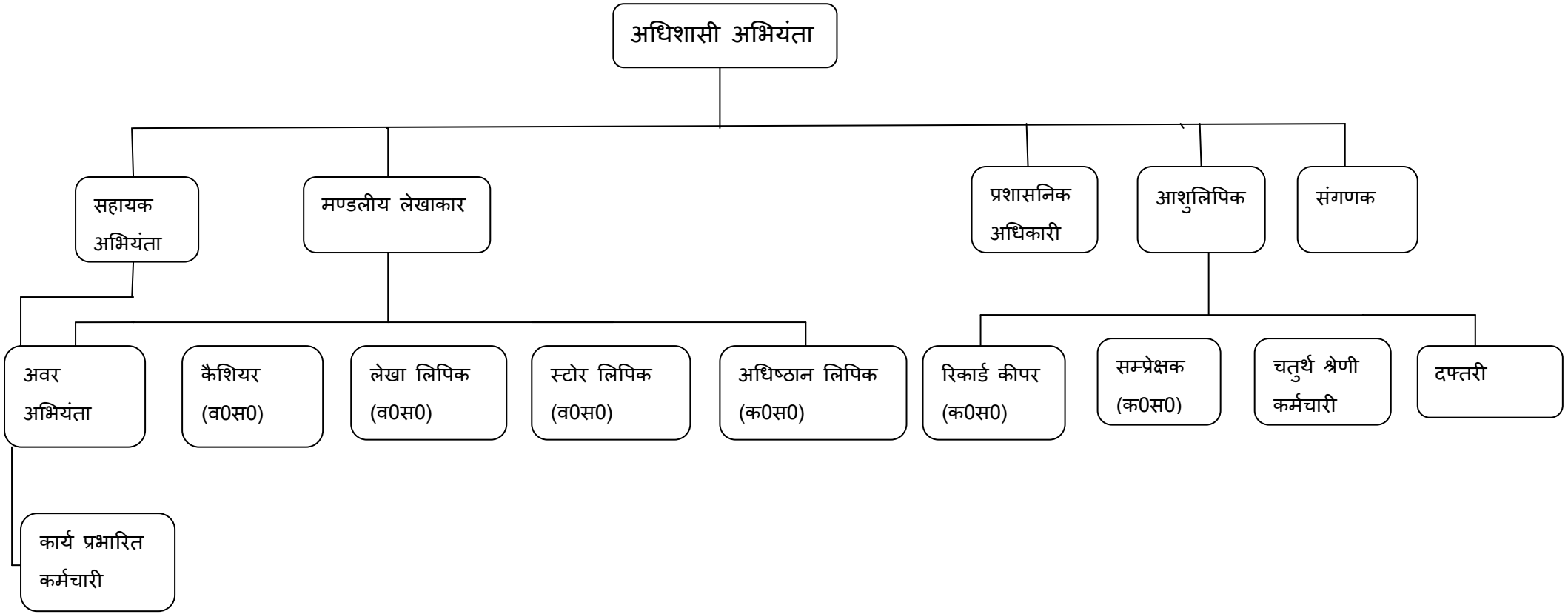

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** जल का पेयजल की आवश्यकताओं के अतिरिक्त औद्योगिक एवं कृषि विकास सहित समग्र आर्थिक विकास के सन्दर्भ में सम्पूर्ण जैविक जगत के लिए महत्वपूर्ण है। विश्व के क्षेत्रफल का 70 प्रतिशत भाग जल एवं उसमें से मात्र 3 प्रतिशत मीठा और शेष 67 प्रतिशत जल खारा है। औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास और जनसंख्या विस्फोट के कारण जल प्रदूषण एवं खपत की मात्रा बढ़ रही है। उत्तराखण्ड राज्य के 53483 वर्ग कि.मी क्षेत्र में अनुमानतः 663200 लाख किलोलीटर कुल वार्षिक जल प्राप्त होता है, जिसमें से मानव जनसंख्या, पशुओं, कृषि तथा उद्योग के लिए मात्र 31 प्रतिशत जल की आवश्यकता आंकी गयी है। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार प्रदेश की जनसंख्या 84.79 लाख है, जिसमें 22.97 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्र तथा 77.03 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उत्तर भारत के बारहमासी जल श्रोतों के उद्गम स्थल के प्रभाव क्षेत्र एवं पर्यावरण के अनुरक्षण और प्रबन्धन का उत्तरादायित्व उत्तराखण्ड राज्य का है। यह जल प्रबन्धन एवं उपयोग में अत्यधिक दक्षता तथा जल संरक्षण के महत्व की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
4. **विस्तृत जांच हेतु माह का चयनः** व्यय हेतु माह 08/2010, 06/2011, 02/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनति किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार, राजस्व हेतु माह 09/2012, 03/2014, 02/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम प्राप्ति के आधार पर किया गया है।
5. **योजना का चयनः** लेखापरीक्षा में 03 निर्माण कार्यो का विस्तृत विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन उक्त योजनाओ के अन्तर्गत अधिकतम स्वीकृति एवं व्यय के आधार पर किया गया।
6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- (1) पूर्ण हो चुके पेयजल योजनाओं को समय पर जल संस्थान को हस्तान्तरण न किए जाने के कारण उसके रख-रखाव/अनुरक्षण पर ₹ 42.69 लाख का अनियमित व्यय।

निर्माण शाखा, पेयजल निगम द्वारा निर्मित ऐसे पेयजल योजनाएं जो पूर्ण हो चुके हों, की लेखाबन्दी पूर्ण कर जल संस्थान को यथाशीघ्र हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए। जल संस्थान द्वारा ही पूर्ण हो चुके पेयजल योजनाओं के रख-रखाव तथा उसके अनुरक्षण पर व्यय किया जाना चाहिए।

कार्यालय, अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण के अन्तर्गत पूर्ण हो चुके पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि 26 वर्षों से भी अधिक समय पहले से पूर्ण हो चुकी 32 पेयजल योजनाओं (सूची संलग्न) के रख-रखाव तथा अनुरक्षण पर खण्ड द्वारा ₹ 42.69 लाख की धनराशि का व्यय किया गया था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उन उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो पाया जिनके लिए इनका निर्माण किया गया था।

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि जल संस्थान द्वारा अपने कर्मचारियों की कमी के कारण पूर्ण योजनाओं को लेने से मना कर दिया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमतः कार्य पूर्ण होने के तत्काल पश्चात् ही उसे जल संस्थान हो हस्तान्तरित किया जाना चाहिए था। निर्माण शाखा द्वारा ऐसे नहीं किया गया परिणामतः पूर्ण हो चुके कार्यों के रख-रखाव/अनुरक्षण पर ₹ 42.79 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

अतः पूर्ण हो चुके पेयजल योजनाओं को समय पर जल संस्थान को हस्तान्तरण न किए जाने के कारण उसके रख-रखाव/अनुरक्षण पर ₹ 42.79 लाख का अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- (2) ₹ 1246.57 लाख की धनराशि से निर्मित पेयजल योजनाओं की लेखाबंदी न किया जाना।

निर्माण शाखा, पेयजल निगम द्वारा निर्मित ऐसे पेयजल योजनाएं जो पूर्ण हो चुके हों, की लेखाबन्दी पूर्ण कर जल संस्थान को यथाशीघ्र हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय, अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण के अन्तर्गत निर्मित पेयजल योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि वर्ष 1990 से अद्यतन पूर्ण हो चुकी 25 पेयजल योजनाओं, जिन पर ₹ 1246.57 लाख व्यय किया जा चुका है। (सूची संलग्न) की लेखापरीक्षा अवधि तक लेखाबंदी नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप इन कार्यों के पूर्ण होने की वास्तविकता एवं सुचारु रुप से उपयोगिता सिद्ध होने पर प्रश्नचिन्ह लगता है। अभिलेखों में इस तरह के भी स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं थे जो यह पुष्टि करें कि उक्त पेयजल योजनाएं उन उद्देश्यों हेतु प्रयोग की जाने लगी है जिनके लिए इनका निर्माण किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि निर्माण शाखा में कर्मचारियों की कमी के कारण लेखाबन्दी कार्य प्रभावति हो रहे है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् अविलम्ब योजनाओं की अन्तिम लेखाबन्दी की जानी चाहिए।

अतः 25 पेयजल योजनाओं पर हुए व्यय ₹ 1246.57 लाख की धनराशि का अन्तिम लेखाबन्दी न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर- (3) सात पेयजल योजनाओं पर स्वीकृत धनराशि से ₹ 173 लाख अधिक व्यय किया जाना।

नियमानुसार किसी भी निर्माण कार्यों पर आवंटित धनराशि से अधिक व्यय से बचना चाहिए। आवश्यकतानुसार किसी विशेष निर्माण कार्यों के लिए पुनरीक्षित आगणन के आधार पर ही व्यय करना चाहिए। बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यालय, अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण के पेयजल योजनाओं के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कुल 07 पेयजल योजनाओं में स्वीकृत धनराशि ₹ 1179.88 लाख के सापेक्ष ₹ 1352.70 लाख का व्यय भुगतान किया गया। इस प्रकार कुल 07 पेयजल योजनाओं पर स्वीकृति से अधिक ₹ 172.82 लाख का व्यय किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित हैः

(₹ लाख में)

क्र. सं.	**पेयजल योजना का नाम**	**योजना की स्वीकृत धनराशि**	**योजना पर किया गया कुल व्यय**	**योजनाओं पर किया गया अधिक व्यय**	**योजना पूर्ण / अपूर्ण**
1	मनिला बरकिण्डा	1072.55	1243.19	170.64	पूर्ण
2	सदें महरगांव	46.04	46.094	0.054	पूर्ण
3	नैथाना देवी	18.01	18.38	0.37	पूर्ण
4	सदें महरगांव	23.77	24.36	0.59	पूर्ण
5	कुमाली खत्ता	6.00	6.335	0.62	पूर्ण
6	जोगिडा	7.46	7.73	0.27	पूर्ण
7	दजियाधारा	6.05	6.335	0.285	पूर्ण
	योग	**1179.88**	**1352.70**	**172.824**	**पूर्ण**

उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि सामग्री मद में अन्य योजनाओं की सामग्री बुक होने के कारण अधिक व्यय हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी निर्माण कार्यों पर आवंटित धनराशि से अधिक व्यय से बचना चाहिए साथ ही बजट आवंटन की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

अतः सात पेयजल योजनाओं पर स्वीकृत धनराशि से ₹ 173 लाख अधिक व्यय किए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर- (4) कर्मचारियों/अधिकारियों से ₹ 15.50 लाख के विविध अग्रिम की वसूली का नहीं किया जाना।

खण्ड की मासिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि तीन कर्मचारियों जिनके विरूद्ध ₹ 15,49,738/- डेविट वैलेन्स के रूप में दर्शाया गया था जिनका विवरण निम्न है-

क्र.सं.	कर्मचारियों/अधिकारियों के नाम	विविध अग्रिम की धनराशि	वर्ष जब से विविध अग्रिम Book किया जाना	टिप्पणी
1	श्री ऋषिपाल सिंह, Jr Er	₹ 4,80128/-	मार्च 2008	सेवा निवृत्त हो चुके है।
2	श्री डी.सी. मित्तल, Jr Er	₹ 479358/-	मार्च 2008	सेवा निवृत्त
3	श्री आर.के. श्रीवास्तव, Jr Er	₹ 590252/-	मार्च 2008	उत्तर प्रदेश को कार्य मुक्त
	कुल	**₹ 15,49,738/-**		

श्री ऋषिपाल सिंह एवं श्री डी.सी. मित्तल वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके है। जबकि श्री आर. के. श्रीवास्तव वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश सेवा हेतु उत्तराखण्ड से सेवामुक्त कर दिये गये। पुनः लेखापरीक्षा में निम्न तथ्य प्रकाश में आये-

1. श्री ऋषिपाल सिंह एवं श्री डी.सी. मित्तल वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके है। तथा इनसे वर्ष तथा इनसे वर्ष 2008 से अभी तक कोई वसूली नहीं की गयी जो कि निगम की लापरवाही का घोतक है।
2. श्री आर. के श्रीवास्तव जो की वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश सेवा के लिए कार्य मुक्त कर दिये गये जबकि इनके विरूद्ध विविध आग्रिम 2008 में Book किया गया। जिससे विदित होता है कि श्री आर.के श्रीवास्तव को बिना जांच किए बिना No dues के ही कार्य मुक्त कर दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा विविद् अग्रिम की वसूली न होने के कारण पूछने पर निगम द्वारा कहा गया कि जो व्यक्ति सेवा निवृत हो चुके है उनसे अग्रिम की वसूली उनको दी जाने वाली Gratulity से कर ली जायेगी तथा इस विषय पर निगम मुख्यालय स्तर से कार्यवाही की जायेगी तथा श्री आर.के श्रीवास्तव जो कि उत्तर प्रदेश सेवा के लिए कार्यमुक्त हुए है इस विषय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा वसूली हेतु सचिव पेयजल उत्तर प्रदेश शासन से पत्राचार किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अभी तक इन अग्रिमों की कोई वसूली नहीं की गयी है।

इस प्रकार, कर्मचारियों/अधिकारियों से ₹ 15.50 लाख के विविध अग्रिम की वसूली का नहीं किए जाने संबंधी प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर- (5) नौला कमराड़ पंपिग पेयजल पर ₹ 374.77 लाख के व्यय के बावजूद कार्य पूर्व न होना एवं धनराशि ₹ 36.03 लाख का अवरोधन।

उत्तराखण्ड सरकार ने शासनादेश संख्या 343/ उन्तीस(2)/132 (147पे.) 6 दिनांक 14/03/2013 के द्वारा NRDWP कार्यक्रम के तहत नौला कमराड़ (ग्राम समूह) पंपिग पेयजल योजना के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की। इस योजना हेतु ₹ 516.83 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई जो इस प्रकार है-

1. मुख्य पाइपलाईन एवं सिविल कार्य ₹ 313.23 लाख
2. विद्युत यांत्रिक कार्य ₹ 111.59 लाख
3. ग्राम पंचायत स्तर पर वितरण लाइनों का कार्य ₹ 92.01 लाख

इस योजना द्वारा विकास खण्ड भिखियासैंण के अन्तर्गत 10 ग्राम पंचायतों की 34 बस्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था। इस योजना का मुख्य कार्य राम गंगा नदी (जैठ खोला ग्राम) से वामन चौना गांव तक 2 स्टेज पंपिग लाईन का कार्य पेयजल निगम द्वारा किया जाना था तथा पेयजल वितरण प्रणाली का कार्य ग्राम पंचायत/समितियों द्वारा किया जाना प्रस्तावित था। इस पेयजल योजना के अभिलोखों की जांच में निम्न तथ्य प्रकाश में आए-

इस योजना पर निगम द्वारा लेखापरीक्षा की तिथि तक निम्न प्रकार व्यय किया गया था।

	कार्य		व्यय
4.	मुख्य पंपिग पाईप लाइन एवं सिविर	-	₹ 332.77 लाख
5.	विद्युत यांत्रिक कार्य	-	₹ 42.00 लाख
6.	ग्राम पंचायतों को अग्रिम	-	₹ 36.03 लाख

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न बस्तियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करने हेतु वितरण प्रणाली का कार्य 10 ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना प्रस्तावित था तथा इन ग्राम पंचायतों को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया गया था जो निम्न प्रकार है-

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	योजना का प्राक्कलित मूल्य	अग्रिम को पारित	अग्रिम दिये जाने का पारित दिनांक	टिप्पणी
1	वाजन	1.18	0.46	20/11/2015	ग्राम पंचायतों द्वारा अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किये गये थे।
2	मैकणा	7.13	2.77	20/11/2015	
3	बमन चौना	10.11	3.94	20/11/2015	
4	नैल	8.78	3.46	20/11/2015	
5	महर नैल	8.01	3.16	20/11/2015	
6	नौगांव	10.89	4.26	20/11/2015	
7	थिरोली	8.49	3.30	20/11/2015	
8	स्योता	11.56	4.54	20/11/2015	
9	सनणा	11.05	4.37	20/11/2015	
10	नौला	14.81	5.81	20/11/2015	
कुल		**92.02**	**36.03**		

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी इन ग्राम पंचायतों द्वारा अग्रिम भुगतान किये जाने पर भी कोई कार्य नहीं करवाया गया जिससे एक वर्ष तक इन निधियों का अवरोधन हुआ तथा समय पर कार्य न करवाये जाने से इन कार्यों के लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सकती है इस योजना का मुख्य निर्माण कार्य (विद्युत यांत्रिक कार्य को छोड़कर) पूर्ण हो चुका है लेकिन अभी तक वितरण प्रणाली का कार्य प्रारम्भ भी नहीं किया जा सका है। अतः वितरण प्रणाली का निर्माण न होने से पेयजल की आपूर्ति नहीं की जी सकती है जिस कारण समय से वांक्षित लक्ष्यो की पूर्ति नहीं हो सकी साथ ही खण्ड द्वारा पूर्ण किये गये कार्यो पर व्यय ₹ 332.77 लाख तथा ग्राम पंचायतों को अग्रिम ₹ 36.02 दिया गया। खण्ड द्वारा एक वर्ष व्यतीत होने के बाद भी इन ग्राम पंचायतों से न तो अग्रिम दी गयी राशियों को वापस लिया गया न ही कार्य न करने पर इनके विरूद्ध कोई नियमानुसार कार्यवाही की गयी। लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य न करने के लिए निगम द्वारा कोई उचित उत्तर नहीं दिया गया।

अतः ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य प्रारम्भ न किये जाने का कारण ₹ 36.03 लाख की धनराशि का अवरोधन एवं योजना पर ₹ 374.77 लाख व्यय के बावजूद कार्य पूर्ण न होने संबंधी प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा सकता है।

भाग-पाँच

आभार

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तरखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण (अल्मोड़ा)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गएः

- **विगत लेखापरीक्षा के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**
- **सतत् अनियमितताएः**
- शून्य

लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः-

क्र. सं.	**नाम**		**पदनाम**
1	श्री जे.सी पांडे	06.02.2009 से 21.01.2011	अधिशासी अभियंता
2	श्री बाबू राम	22.01.2011 से 14.03.2011	अधिशासी अभियंता
3	श्री यू.सी. गुप्ता	15.03.2011 से 06.09.2014	अधिशासी अभियंता
4	श्री ए.के. कटारिया	07.09.2014 से 30.06.2015	अधिशासी अभियंता
5	श्री ए.सी. पन्त	01.07.2015 से 27.07.2015	अधिशासी अभियंता
6	श्री महेन्द्र सिंह	28.07.2015 से अद्यतन	अधिशासी अभियंता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, अधिशासी अभियंता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, भिकियासैंण (अल्मोड़ा)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप-महालेखाकार/उप-महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।